

ISSN: 2347-4491
UGC Journal No. 49095
IIJF Impact Factor: 2.382

Vol. 6 No. 3 Issue - 2 July - September, 2018

आयन *Ayan*

An International Multi-Disciplinary Quarterly Refereed Research Journal



Editor-in-Chief
Dr. Bindu Bhushan Upadhyay

Executive Editor
Dr. Vikramaditya Rai

Managing Editor
Dr. Neeraj Kumar Rai

Editors
Dr. Vikash Kumar
Dr. Kumar Varun

Contents

❖ स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीति और नागार्जुन का काव्य	आनन्द कुमार सिंह	1-4
❖ अम्बा, उमा, दुर्गा एवं देवसेना (षष्ठी) का अंकन मुद्राओं के विशेष संदर्भ में	राजकुमार पाल	5-8
❖ शैलाश्रित गुहाचित्रों का वर्गीकृत अध्ययन	जितेन्द्र नारायण सिंह	9-14
❖ नारी अस्मिता का प्रश्न और वर्तमान भारतीय स्त्री	अनिल कुमार त्रिपाठी	15-18
❖ दमोह जिले से प्राप्त कार्तिकेय प्रतिमाएँ	उमेश चन्द्र पाण्डेय	19-24
❖ Agriculture Function of Urban Fringe of Ranchi City	Dr. Shiv Kumar	25-33
	Madhumita Minz	
❖ बौद्ध मूर्तिशिल्प में सौन्दर्य बोध	कृष्ण देव पाण्डेय	34-38
❖ Impact of Christian Missionaries in British Colonial India and Accumulation of Modern Hindu Religious Identities	Brahma DeoPandey	39-45
❖ समकालीन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास (स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में)	ब्रजेन्द्र कुमार	46-50
❖ "Ganga Movement and Livelihood of the People Living Near Ghats": s(A Sociological Study)	Vinay Kumar Singh Yadav	51-58
❖ महाकविकालिदासस्य सूक्तिसौन्दर्यम्	डॉ० जगदीश नारायण तिवारी	59-62
❖ भारतीय स्त्री पराधीनता एवं धार्मिक पितृसत्ता : वर्तमान परिदृश्य	डॉ० अरुणा कुमारी सुबोध कान्त	63-65
❖ Cloud Crm - The Enabler for Startups	Dr. Kalyan Ranjan	66-71
❖ आतंकवाद के साये में अफगानिस्तान	डॉ० कमलेश चन्द्र पाण्डेय	72-75
❖ Role of consumer Satisfactions : Implications	Bhoopesh Kumar Vishwakarma	76-78
❖ ममता कालिया : दुःखम-सुखम में चित्रित यथार्थ	आनन्द ज्योति	79-81

समकालीन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकास (स्थानीय निकायों के विशेष संदर्भ में)

ब्रजेंद्र कुमार

शोधार्थी, इतिहास विभाग, डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)

ब्रिटिश साम्राज्य में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध चलने वाले एक लम्बे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद, जब सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "अंतरिम राष्ट्रीय सरकार एक बहुत बड़ी सुनियोजित व्यवस्था का अंग है, जिसमें संविधान सभा भी सम्मिलित है, जो स्वतंत्र तथा मुक्त भारत के संविधान को सही आकार देने में भी शामिल है। ऐसा इसलिए है कि पूर्ण स्वतंत्रता के एहसास और अपेक्षाओं के साथ हम ऐसी सरकार का गठन करें, जो सफलतापूर्वक स्वतंत्रता को कायम रखते हुए देश के आंतरिक और हमारे विदेशों रिश्तों को अगे बढ़ाएं।"¹ 1947 में भारत ने एक नये युग में प्रवेश किया, जहाँ भारत का एक नये राष्ट्र के रूप में निर्माण करना था और यह काम आजाद भारत की जनता का विश्वास तथा सहभागिता पाकर ही किया जा सकता था। इसी दिशा में स्थानीय निकायों को एक नय रूप में संगठित करने के लिए 1948 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर की अध्यक्षता में प्रांतों के स्थानीय स्वशासन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि "स्थानीय स्वशासन लोकतन्त्र की किसी भी व्याख्या का सच्चा आधार है और होना चाहिए..... लोकतन्त्र सफल न हो सके।"² अतः औपनिवेशिक काल से देश में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया आरम्भ हुई थी, उसने आजादी के बाद 1950 में पूर्ण विकसित रूप धारण कर लिया था।

आजादी के उपरान्त देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार विकेंद्रीकरण पर निर्भर होता है। अतः देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विकेंद्रीकरण की दिशा में तेजी लाई गई। बिपिन चन्द मानते हैं कि "स्थानीय स्वशासन के द्वारा निम्न स्तर के लाखों लोगों की व्यापकतम.....मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत कर सकें।"³ देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक था कि राजनीतिक रूप से व्यक्ति तथा संस्थाओं को सशक्त बनाया जाये। यह काम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा आसानी से किया जा सकता था।

ब्रिटिशकाल में जिन उद्देश्यों को लेकर विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाये गये थे उनको लेकर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन संपूर्ण रूप से प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र और व्यक्ति के तमाम नागरिक स्वतंत्रताओं पर आधारित राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने स्वतंत्र भारत के निर्माण की रूपरेखा इस प्रकार बुनी "आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गांव में पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सकें।" गांधी ने स्वतंत्र भारत को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को एक साधन के रूप में देखने का प्रयत्न किया क्योंकि स्थानीय स्तर की संस्थाओं को ही शक्ति संपन्न बना कर भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता था।

संविधान सभा में अम्बेडकर ने संविधान के मूल पारूप के पक्ष में और ग्राम पंचायत आधारित शासन संरचना के घोर विरोध में अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने इस तथ्य पर अपनी खुशी जाहिर की, कि मसौदा संविधान ने गांव को अमान्य किया है, गांव से छुटकारा पाया है और व्यक्ति को एक इकाई के रूप में अंगीकार किया है। अम्बेडकर ने संवैधानिक प्रारूप के आलोचकों को दो श्रेणियों में रखा— प्रथम में जो मानते थे कि संविधान का कोई हिस्सा प्राचीन भारतीय शासन तन्त्र, शासन संरचना का प्रतिनिधित्व नहीं करता, इनका मानना था कि संविधान में शासनतंत्र का प्राचीन हिन्दु मॉडल रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वे लोग थे जो कोई भी प्रांतीय या केन्द्रीय सरकार नहीं चाहते थे और सिर्फ अनेकानेक गांव सरकार